2015 का विधेयक सं.32

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान प्लिस (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।
- 2. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 60 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 60 में विद्यमान अभिव्यक्ति "मत्त या बलवा करते हुए पाया जाना छठवां कोई व्यक्ति, जो मत्त या बलवा करते हुए पाया जाये या जो स्वयं की देखरेख करने में असमर्थ हो;" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बलवा करते हुए पाया जाना छठवां कोई व्यक्ति, जो बलवा करते हुए पाया जाना छठवां कोई व्यक्ति, जो बलवा करते हुए पाया जाये;" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 3. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 60-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की इस प्रकार संशोधित धारा 60 के पश्चात् और विद्यमान धारा 61 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात:-
 - "60-क. मत्त पाये जाने के लिए दण्ड.- कोई व्यक्ति, जो किसी भी ऐसे कस्बे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस धारा का प्रसार विशेष रूप से किया जाये, की सीमाओं के भीतर किसी भी सड़क या खुले स्थान पर या मार्ग या आमरास्ते में मत्त पाया जाये और स्वयं की देखरेख करने में इतना असमर्थ हो कि

निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान हो तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रुपये से अनिधक के जुर्माने का, पश्चात्वर्ती दो अपराधों के लिए पांच हजार रुपये से अनिधक के जुर्माने का और तीसरे अपराध के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपये से अनिधक के जुर्माने का, या आठ दिवस से अनिधक के कठोर श्रम सिहत या रिहत कारावास का भागी होगा; और किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को वारण्ट के बिना अभिरक्षा में लेना विधिपूर्ण होगा जिसने उसकी राय में ऐसा अपराध कारित किया हो।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 60 किसी व्यक्ति को जो मत्त या बलवा करते हुए पाया जाये या जो स्वयं की देखरेख करने में असमर्थ हो और निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पंहुचाता हो तो वह पचास रुपये से अनिधिक के जुर्माने या आठ दिन से अनिधिक के कठोर श्रम सहित या रहित कारावास का उपबंध करती है।

यह महस्स िकया गया है कि पचास रुपये से अनिधिक का जुर्माना ऐसे किसी अपराध को कारित करने से निवारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, जुर्माने को बढ़ाकर प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रुपये से अनिधिक, पश्चात्वर्ती दो अपराधों के लिए पांच हजार रुपये से अनिधिक और तीसरे अपराध के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपये से अनिधिक करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 60 को संशोधित किया जाना और राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 में एक नयी धारा 60-क को अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्त्त है।

> गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

60. सड़क इत्यादि पर कितपय अपराधों के लिए दण्ड.- कोई व्यक्ति, जो किसी भी ऐसे कस्बे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस धारा का प्रसार विशेष रूप से किया जाये, की सीमाओं के भीतर किसी भी सड़क या खुले स्थान या आमरास्ते में निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचाने आदि निम्निलिखित अपराधों में से कोई भी अपराध करता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर पचास रुपये से अनिधक के जुर्माने या आठ दिन के कठोर श्रम सिहत या रिहत कारावास का भागी होगा; और किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को वारण्ट के बिना अभिरक्षा में लेना विधिपूर्ण होगा जिसने उसकी दृष्टि में ऐसा कोई भी अपराध किया हो;

पशुओं का वध, उग्र सवारी इत्यादि - पहला- कोई व्यक्ति, जो किसी पशु का वध करता है या किसी पशुशव को साफ करता है; कोई व्यक्ति, जो किसी पशु की अंधाधुंध या बेतहाशा सवारी करता है या चलाता है या किसी घोड़े या अन्य पशु को उग्रता से प्रशिक्षित करता है या फेरता है;

पशुओं के प्रति क्रूरता - दूसरा - कोई व्यक्ति, जो किसी पशु पर बेलगाम रूप से या क्रूरतापूर्वक प्रहार करता है, दुरुपयोग करता है या उसे यातना देता है;

यात्रियों को बाधा पहुंचाना - तीसरा - कोई व्यक्ति, जो किसी भी प्रकार के किसी पशु या वाहन को लदाई या उतराई के लिए या यात्रियों को बिठाने या उतारने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय तक खड़ा रखता है या जो किसी वाहन को ऐसे ढंग से छोड़ देता है जिससे जनता को अस्विधा या संकट हो; माल को बिक्री के लिए अरक्षित रूप से खुला छोड़ना - चौथा -कोई व्यक्ति, जो किसी माल को बिक्री के लिए अरक्षित रूप से खुला छोड़ता है;

मार्ग में कचरा फेंकना - पांचवां - कोई व्यक्ति, जो गन्दगी, कूड़ा-करकट, मलबा या कोई पत्थर या भवन निर्माण सामग्री फेंकता है या गिराता है, या जो किसी गोशाला, अस्तबल का या ऐसा ही कोई सन्निर्माण करता है या जो किसी गृह, कारखाने या गोबर डालने के स्थान से घृणोत्पादक पदार्थ निकलने देता है;

मत्त या बलवा करते हुए पाया जाना - छठवां - कोई व्यक्ति, जो मत्त या बलवा करते हुए पाया जाये या जो स्वयं की देखरेख करने में असमर्थ हो;

शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन - सातवां - कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर और अशोभनीय रूप से अपने शरीर को या किसी भी संतापकारी नि:शक्तता या रोग को अभिदर्शित करता है, या स्वयं के सुखाचार से या किसी तालाब या जलाशय में स्नान करके या कपड़े धोकर, जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् से निर्धारित स्थान न हो, उपताप कारित करता है।

संकटमय स्थानों को संरक्षित करने में उपेक्षा - आठवां - कोई व्यक्ति, जो किसी कुएं, तालाब या अन्य संकटमय स्थान या ढांचे में बाड़ लगाने या सम्यक् रूप से संरक्षित करने में उपेक्षा करता है।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 32 of 2015

THE RAJASTHAN POLICE (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Police Act, 2007.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Police (Amendment) Act, 2015.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 60 of the Rajasthan Police Act, 2007 (Act No. 14 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "Being found drunk or riotous—Sixth—Any person who is found drunk or riotous or who is incapable of taking care of himself;", the expression "Being found riotous—Sixth—Any person who is found riotous;" shall be substituted.
- **3.** Insertion of new section 60-A, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- After the section 60 so amended and before the existing section 61 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"60-A. Punishment for being found drunk.-

Any person who, on any road or in any open place or street or thoroughfare within the limits of any town to which this section shall be specially extended by the State Government, is found drunk and incapable of taking care of himself to the obstruction, inconvenience, annoyance, risk, danger or damage to the residents or passengers shall, on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not exceeding five hundred rupees for the first offence, a fine

not exceeding five thousand rupees for the subsequent two offences and a fine not exceeding ten thousand rupees for every subsequent offence after conviction of third offence, or to imprisonment with or without hard labour not exceeding eight days; and it shall be lawful for any police officer to take into custody, without a warrant, any person who within his view commits such offence."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 60 of the Rajasthan Police Act,2007 provides for a fine not exceeding rupees fifty along with an imprisonment with or without hard labour not exceeding eight days to any person who is found drunk or riotous or who is incapable of taking care of himself and causes obstruction, inconvenience, annoyance, risk, danger or damage to residents or passengers.

It is felt that the fine not exceeding rupees fifty is not sufficient to deter the commission of such an offence. Hence, it is proposed to amend section 60 of the Act and insert a new section 60-A in the Rajasthan Police Act, 2007 for increasing the fine to not exceeding rupees five hundred for the first offence, not exceeding rupees five thousand for the subsequent two offences and not exceeding rupees ten thousand for every subsequent offence after conviction of the third offence.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

गुलाब चन्द कटारिया, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN POLICE ACT, 2007

(Act No. 14 of 2007)

XX XX XX XX XX

60. Punishment for certain offences on roads, etc.- Any person who, on any road or in any open place or street or thoroughfare within the limits of any town to which this section shall be specially extended by the State Government commits any of the following offences, to the obstruction, inconvenience, annoyance, risk, danger or damage of the residents or passengers shall, on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not exceeding fifty rupees, or to imprisonment with or without hard labour not exceeding eight days; and it shall be lawful for any police-officer to take into custody, without a warrant, any person who within his view commits any of such offences;

Slaughtering cattles, furious, riding etc-First-Any person who slaughters an cattle or cleans any carcasses; any person who rides or drives any cattle recklessly, or furiously, or trains or breaks any horse or other cattle;

Cruelty to animals-Second-Any person who wantonly or cruelly beats, abuses or tortures any animals;

Obstructing passengers—Third—Any person who keeps any cattle or conveyance of any kind standing longer than is required for loading or unloading or for taking up or setting down passengers, or who leaves any conveyance in such a manner as to cause inconvenience or danger to the public;

Exposing goods for sale–Fourth–Any person who exposes any goods for sale;

Throwing dirt into street–Fifth–Any person who throws or lays down any dirt filth, rubbish or any stones or building materials, or who constructs any cowshed, stable or the like, or who causes any offensive matter to run from any house, Factory, dung heap or the like;

Being found drunk or riotous-Sixth-Any person who is found drunk or riotous or who is incapable of taking care of himself;

Indecent exposure of person–Seventh–Any person who willfully and indecently exposes his person, or any offensive deformity or disease, or commits nuisance by easing himself, or by bathing or washing in any tank or reservoir not being a place set apart for that purpose;

Neglect to protect dangerous places—Eighth—Any person who neglects to fence in or duly to protect any well, tank or other dangerous place or structure.

XX XX XX XX XX

<u>2015 का विधेयक सं.32</u>

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज, विशिष्ट सचिव। (गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 32 of 2015

THE RAJASTHAN POLICE (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

16 RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill
to amend the Rajasthan Police Act, 2007.
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Gulab Chand Kataria, Minister-Incharge)